POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.09.2023

1.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, पेचकश गैंग के सदस्य व गैंगस्टर अभियोग में वाँछित 10,000 रूपये का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

घटना क्रम का विवरण--- आज दिनांक 19.09.2023 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से पेचकश गैंग के सदस्य वाँछित 10,000 रूपये का इनामी अभियुक्त हेमन्त शर्मा पुत्र राधाकृष्ण शर्मा को थाना क्षेत्र के गंदा नाले के पास, गामा-1 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

घटना का विवरण---- अभियुक्त शातिर किस्म का लुटेरा एवं पेचकश गैंग का सदस्य है, यह गैंग राहगीरों को गन्तव्य स्थान तक कम पैसो में ले जाने का लालच देकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अवैध हथियार व पेचकश के बल पर लूट की घटनाऐं कारित करता था उक्त गैंग के द्वारा नोएडा व ग्रेटर नोएडा में लगभग एक दर्जन से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उक्त गैंग के द्वारा किये जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए माह जनवरी 2023 में इस गैंग के विरूद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है लेकिन अभियुक्त हेमन्त शर्मा लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु डीसीपी ग्रेटर नोएडा द्वारा 10,000 रूपये का ईनाम घोषित कर रखा था।

अभियुक्त का विवरण---- हेमन्त शर्मा पुत्र राधाकृष्ण शर्मा निवासी तलाब के पास, तोमर वाली गली, जट्टारी, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता विकास शर्मा का मकान, ग्राम नीमका, थाना जेवर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण---- 01 तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास----

1.मु0अ0सं0-0483/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बीटा-2,कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0-0037/2023 धारा- 2(इ)(प)/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3.मु0अ0सं0-0992/2021 धारा 394/411/34/120बी भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4.मु0अ0सं0-0973/2021 धारा 392/411/34/120बी भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5.मु0अ0सं0-0975/2021 धारा 392/411/34/120बी भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6.मु0अ0सं0-0977/2021 धारा 392/411/34/120बी भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7.मु0अ0सं0-0982/2021 धारा 392/411/34/120बी भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8.मु0अ0सं0- 0595/2021 धारा 34/120बी/ 379/411/ 420 भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण--- दिनांक 19/09/2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना से सम्बन्धित अभियुक्त 1.फरदीन पुत्र इकबाल 2.आदिल पुत्र इकराम व 3.अरबाज पुत्र मेहरबान को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 19/09/2023 को सूरजपुर घंटा चौक पर प्रातः 09:30 बजे डायवर्जन करते हुए यातायात उप निरीक्षक शोकेंद्र व हेड कांस्टेबल सरफराज द्वारा एक ऑटो को रोंग साइड जाने से रोका गया तो ऑटो चालक ने डायवर्जन का पालन न करके ऑटो को भागने का प्रयास किया जिसमें हेड कांस्टेबल द्वारा ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया जिसपर ऑटो चालक द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर मुख्य आरक्षी से अभद्रता की गई। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मुख्य आरक्षी से तहरीर लेकर मु0अ0सं0 510/2023 धारा 332/353/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का विवरण---
1.फरदीन पुत्र इकबाल निवासी क्राउन प्लाजा के पीछे, ग्राम मुबारकपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर। उम्र 19 वर्ष।
2.आदिल पुत्र इकराम निवासी क्राउन प्लाजा के पीछे, ग्राम मुबारकपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर। उम्र 20 वर्ष।
3.अरबाज पुत्र मेहरबान निवासी क्राउन प्लाजा के पीछे, ग्राम मुबारकपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर। उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण----
मु0अ0सं0 510/2023 धारा 332/353/504 भादवि थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3.थाना फेस-2 पुलिस द्वारा अवैध गाँजे की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद।

घटनाक्रम का विवरण----- दिनांक 19.09.23 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जे0पी0 फ्लाईओवर के नीचे से अवैध गाँजे की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त विष्णु शर्मा पुत्र जयप्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 03 किलोग्राम अवैध गांजा व एक मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 UP 86 AA 3693 बरामद की गई है। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो मोटरसाइकिल पर अवैध गाँजा की तस्करी करता है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण---- मु0अ0सं0 0421/2023, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त का विवरण---- विष्णु शर्मा पुत्र जयप्रकाश शर्मा निवासी बिर्रा, थाना सासनी, जिला हाथरस उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण---- 03 किलोग्राम अवैध गाँजा।